बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक – 7/ भू-दखल (AAU) 21(क)/14 215(7)/रा० दिनांक 25.2.16

दिनांक 23.01.2016 को माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में सारण प्रमंडलीय मुख्यालय छपरा में राजस्व संबंधी मामलो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न है ।

कार्यवाही :– सर्वप्रथम बैठक में आयुक्त, सारण प्रमंडल द्वारा माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों को विभागीय दायित्वों को सम्यक तरीके से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

2. बैठक में अंचलाधिकारी मैरवा बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। जिला पदाधिकारी सिवान को निदेश दिया गया कि उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करके विधिनुकूल कार्रवाई करें।

3. विषयवार समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित बातें प्रकाश में आयीं तथा उसके संबंध में दिए गए निदेश निम्नांकित हैं :–

(i) ऑपरेशन भूमि दखल देहानी :– समीक्षा से विदित हुआ कि गोपालगंज जिले के कुचायकोट, पंचदेवरी, फुलवरिया एवं सिंघवलिया, सारण जिले के दिघवारा, दरियापुर तथा सिवान जिले के मैरवा एवं आन्दर में गैरमजरूआ मालिक भूमि से आच्छादित पर्चाधारियों की संख्या क्रमशः 132, 157, 121, 72, 69, 75, 23 तथा 206 प्रतिवेदित है जो संदेहात्मक है। सारण जिले के परसा, मकेर, दिघवारा, सोनपुर, दरियापुर, नगरा, बनियापुर तथा अमनौर में भूदान से आच्छादित रैयतों की संख्या 10 से कम प्रतिवेदित है। इसी प्रकार सिवान जिले के महाराजगंज, रघुनाथपुर, आन्दर एवं हसनपुरा में भी भूदान से आच्छादित रैयतों की संख्या 1 अथवा शून्य प्रतिवेदित है। संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इन मामलों की समीक्षा स्वयं अथवा अपर समाहर्त्ता के माध्यम से करायें। साथ ही इन सभी जिलों में इस संदर्भ में पुनः सर्वेक्षण कराकर अंचलाधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र भी लिया जाय।

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी के अंतर्गत प्रपत्र–1, 2 एवं 3 की अद्यतन स्थिति की समीक्षा से विदित हुआ है कि बेदखल व्यक्तियों की संख्या गोपालगंज जिले के कुचायकोट में मात्र 41, गोपालगंज में 10, पंचदेवरी में 20, सारण जिले के गरखा में 2, दिघवारा में 4, सोनपुर में 4, नगरा में 2, बनियापुर में 9 है तथा सिवान जिले के जीरादेई में 0, लकड़ी नवीगंज में 4, गुठनी में 4, नवतन में 5, आन्दर में 1, हसनपुरा में 1 एवं पंचरूखी में 4 है। इन आंकड़ों से विदित होता है कि ये प्रतिवेदन पूर्णरूपेण सही नहीं हैं। संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित मामलों की पुनः जाँच कराएं। प्रतिवेदन के अनुसार लाभान्वितों की संख्या के विरूद्ध प्रपत्र I में अपलोड किए गये लाभान्वितों की संख्या का प्रतिशत ~~गोपालगंज जिला का~~ 82.85, ~~सारण~~ जिला का 88.77 ~~तथा सिवान जिला का 82.30~~ पाया ~~गया~~ जिसे पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। बैठक में ऑपरेशन दखल–देहानी से संबंधित सभी विभागीय पत्रों की प्रति पुनः सबों को हस्तगत करायी जाय तथा इस संदर्भ में विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा

[illegible] अंतर्गत कार्य पूर्ण करने हेतु समय-सीमा 31.03.2016 तक विस्तारित कर दी गयी है।

(ii) **महादलित विकास योजना** :– महादलित विकास योजना अन्तर्गत जिलों से प्राप्त विवरणी की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि उपलब्धि शत–प्रतिशत रही है जिस हेतु सभी संबंधितों को धन्यवाद दिया गया।

(iii) **अभियान बसेरा** :– अभियान बसेरा के तहत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि अवशेष परिवारों की संख्या गोपालगंज जिला में 770, सारण जिला में संख्या 293 तथा सिवान जिला में 379 है। निदेश दिया गया कि समयबद्ध तरीके से एक माह में अवशेष परिवारों को अभियान बसेरा के तहत आच्छादित करने का कार्य पूर्ण कराया जाय।

(iv) महादलित विकास योजना तथा सम्पर्क सड़क योजना अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि का व्यय संबंधित जिलों द्वारा पूर्ण कर दिया गया है।

(v) **बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014** – बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014 के अंतर्गत विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आवश्यक जानकारी बैठक में दिया गया इस संबंध में जिलों द्वारा बताया गया कि वास रहित परिवारों के सर्वेक्षण का काम पूर्ण कर लिया गया है परन्तु शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि के सर्वेक्षण का कार्य का प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि जिन पर वास रहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को बसाया जाना है के सर्वेक्षण का कार्य एक महीने में पूर्ण कराया जाय तथा तत्पश्चात वास रहित परिवारों को बसाने का कार्य किया जाए।

(vi) सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिला के संबंधित मंत्री, भूदान यज्ञ समिति द्वारा बताया गया कि विभिन्न भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में सम्पुष्टि हेतु लम्बित भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	न्यायालय का नाम	सम्पुष्टि हेतु लंबित दानपत्र में सन्निहित भूमि
1	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज	2023.24 1/4 एकड़
2	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हथुआ	5249.71 1/2 एकड़
3	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिवान	413.92 एकड़
4	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, महाराजगंज	42.43 एकड़
5	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण	255.4 1/2 एकड़
6	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा	14.68 1/2 एकड़
7	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सोनपुर	34.40 एकड़

समीक्षा के क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्त्तों ने बतलाया कि भूमि की विवरणी के साथ दान पत्रों की प्रति नहीं उपलब्ध करायी गयी है। संबंधित भू–दान मंत्री द्वारा बताया गया कि दान की प्रति पूर्व में उपलब्ध

[illegible] की छायाप्रति संबंधित भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता को उपलब्ध कराया जाय जिसके आधार पर वे विधिनुकूल निर्णय ले सकें। संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि संबंधित जिला के भू-दान मंत्री से सम्पर्क कर दान पत्रों की छायाप्रति कराकर संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को उपलब्ध करायें।

(vii) दाखिल खारिज :– दाखिल खारिज संबंधित मामलों की समीक्षा से विदित हुआ कि गोपालगंज के अंचल में 30.56 प्रतिशत, सारण जिला के दिघवारा में 22 प्रतिशत, सोनपुर में 14.22 प्रतिशत, पानापुर में 34.80 प्रतिशत, अमनौर में 12.65 प्रतिशत लहलादपुर में 35.41 प्रतिशत तथा सिवान जिले के जिरादेई में 11.24 प्रतिशत, रघुनाथपुर में 18.54 प्रतिशत, सिसवन में 17.33 प्रतिशत, आन्दर में 27.35 प्रतिशत, नवतन में 12.12 प्रतिशत, हसनपुर में 27.82 प्रतिशत, मैरवा में 21.17 प्रतिशत तथा बसंतपुर में 17.90 प्रतिशत मामलों में सर्विस डिनायल हुआ है जो चिंता का विषय है। उसी प्रकार गोपालगंज जिले कें कुचाइकोट में 52.72% उचकागांव में 46.11%, थावे में 44.61%, कटेया में 29.17%, मांझा में 23.47%, हथुआ में 22.36%, भोरे में 15.81%, सारण जिले के तरैया में 77.18%, दिघवारा मं 61.89%, रिविलगंज में 58.22%, सोनपुर में 10. 85%, गरखा में 42.03%, इसुआपुर में 39.32%, लहलापुर में 26.46%, पानापुर में 17.17% एवं अमनौर में 16.67% तथा सिवान के हुसैनगंज में 21.99%, भगवानपुर हाट में 18.90%, दरौली में 17.16% तथा महाराजगंज में 16.05% मामलों में निर्धारित समय के बाद सर्विस दिया गया। संबंधित जिला पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिन मामलों में सर्विस डिनायल का प्रतिशत ज्यादा है उनकी जाँच करावें तथा संबंधितों से स्पष्टीकरण पूछकर विधिनुकूल कार्रवाई करें।

इसुआपुर के अचंलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 5 राजस्व ग्राम की पंजी–II व्यवहार न्यायलय में वर्षों से जमा है तथा इस कारण उन्हें दाखिल खारिज करने में कठिनाई हो रही है। अपर समाहर्ता सिवान को निदेश दिया गया कि सरकारी वकील से मिलकर पंजी–II व्यवहार न्यायालय से प्राप्त करने की कार्रवाई करें।

समीक्षा के क्रम में कुछ अंचलाधिकारियों ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर जिज्ञासा की :–

(क) जिन मामले में पंजी–II जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है उन मामलें में दाखिल खारिज का कार्य कैसे सम्पन्न किया जाय।

(ख) नये जमाबंदी कायम करने संबंधी मामलों में जमा बंदी कायम करने हेतु सक्षम पदाधिकारी कौन हैं।

(ग) विभाग के सॉफ्टवेयर में अभ्युक्ति कॉलम नहीं है। यदि दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद जांचोपरांत लगान निर्धारण का मामला या जमाबंदी कायम करने संबंधित मामला सामने आता है तो वैसी स्थिति में सॉफ्टवेयर में अभ्युक्ति कॉलम नहीं होने के कारण ऐसे मामलों को सीधे रद्द करने की स्थिति आ जाएगी तथा आवेदक को पुनः नये सिरे से आवेदन पत्र देने का निदेश देना पड़ेगा।

(घ) टोप्पो जमीन की जमाबंदी कैसे कायम किया जा सकता है।

प्रधान सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि इन सभी मामलों में विभाग द्वारा लिखित मार्गदर्शन दिया जायेगा तथा सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2015 से 18.01.2016 के अवधि में RTPS Mutation Report के आधार पर Timely Disposal संबंधी मामले में यह पाया गया कि जलालपुर, दरियापुर, मांझी बड़हरिया, परसा, सिवान सदर, एकमा, मशरख, नगरा एवं सिंधवलिया अंचलों का प्रदर्शन उत्तम रहा है।

उसी प्रकार उक्त अवधि में Timely Disposal के मामले तरैया, दिघवारा, रिविलगंज, कुचाइकोट, उचकागांव, थावे, सोनपुर, गरखा, इसुआपुर तथा कटैया अंचलों का प्रदर्शन खराब रहा है।

(viii) शिविर न्यायालय में दाखिल खारिज से संबंधित मामलों की समीक्षा की गयी तथा इस संबंध में MUTATION Act में वर्णित प्रावधानों को विस्तृत रूप से बताया गया। समीक्षा से यह विदित हुआ कि गोपालगंज जिला के कटैया, सारण जिला के दरियापुर, दिघवारा, गरखा, लहलादपुर तथा सिवान जिला के गुठनी, रघुनाथपुर और जिरादेई में शिविर न्यायालय में निष्पादित मामले की संख्या काफी कम है जो स्पष्ट करता है कि इन अचंलों में शिविर न्यायालयों का आयोजन सही रूप से नहीं किया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि शिविर न्यायालयों का प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से किया जाय। शिविर न्यायालयों में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता एवं जिला के अन्य पदाधिकारियों को भी भेजा जाय। शिविर न्यायालयों से संबंधित तिथियों को बेवसाइट पर भी अपलोड करने का निदेश दिया गया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि शिविर न्यायालयों के संबंध में राजस्व विभागीय पत्रांक 491 दिनांक 09.10.2014 एवं 569 दिनांक 18.11.2014 में सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध है।

(ix) BLDR Act :- BLDR Act के अन्तर्गत मामलों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सिवान के भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता महाराजगंज द्वारा बेवसाइट पर कोर्ट केस की विवरणी अपलोड ही नहीं किया जा रहा है। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा कहा गया कि इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण केस से संबंधित आवश्यक विवरणियों को बेवसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सका है। जिला पदाधिकारी सिवान को निदेश दिया गया कि इस मामले की समीक्षा कर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में यह भी स्पष्ट हुआ कि BLDR ACT के अंतर्गत आदेश पारित करने के बाद अनुपालन की स्थिति की समीक्षा जिला स्तर पर नहीं की जा रही है जो चिंता का विषय है। प्रतिवेदन के अनुसार गोपालगंज जिला में 87 तथा सिवान जिला में 123 वादो में पारित आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। इस संदर्भ में सारण जिला के तीनों अनुमण्डलों का प्रतिवेदन ही स्पष्ट नहीं पाया गया।

(x) भू–हदबंदी :– भू–हदबंदी से संबंधित लम्बित मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गोपालगंज में अनुमण्डल स्तर पर 5 मामले लम्बित हैं, जिसमें सन्निहित भूमि 735.58 एकड़ है, अपर समाहर्त्ता स्तर पर दो मामले लम्बित हैं जिसमें सन्निहित भूमि 95.04 एकड़ है। सारण जिला में अनुमंडल स्तर पर एक भी मामले लम्बित नहीं है परन्तु अपर समाहर्त्ता स्तर पर 1 मामला लम्बित है जिसमें सन्निहित भूमि 10.69

एकड़ है तथा समाहर्ता स्तर पर [illegible] मामले लम्बित है जिसमें सन्निहित भूमि 35.50 एकड़ है। सिवान जिला में अनुमण्डल एवं अपर समाहर्ता स्तर पर एक भी मामला लम्बित नहीं है तथा समाहर्ता स्तर पर 3 मामले लम्बित है जिसमें सन्निहित भूमि 41.50 एकड़ है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाय तथा संबंधित पदाधिकारी ध्यान देकर मामले के निस्तारण की कार्रवाई करें।

(xi) भू–हदबंदी से प्राप्त अधिशेष भूमि का वितरण– भू–हदबंदी से प्राप्त भूमि के वितरण संबंधी मामले की समीक्षा से विदित हुआ कि गोपालगंज जिला में कुल अधिशेष भूमि का रकबा 1132 एकड है। इसमें 1103 एकड़ भूमि 2360 लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है। सारण जिले में कुल अधिशेष भूमि का रकबा 941.60 एकड़ हैं जिसमें 432 एकड़ भूमि 1775 लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है। सिवान जिला में कुल अधिशेष भूमि का रकबा 762.10 एकड़ है जिसमें से 707 एकड़ भूमि 1345 लाभार्थियों के बीच वितरित किया गया है। निदेश दिया गया कि शेष भूमि के वितरण का कार्य शीघ्र सम्पन्न किया जाय।

(xii) CWJC/MJC/LPA की समीक्षा :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गोपालगंज जिले में 19, सारण जिले में 21 एवं सिवान जिले में 16 CWJC के मामले लम्बित है तथा सारण जिले में LPA का एक मामला लम्बित है। निदेश दिया गया कि इस मामले में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई की जाय।

(xiii) लम्बित ए0सी0 विपत्रों के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र दायर करने की स्थिति :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गोपालगंज जिला में राजस्व संबंधी विभिन्न मदों में 13.66 लाख रूपया, सारण जिला में 64.16 लाख रूपया एवं सिवान जिला में 151.30 लाख रूपया का डी0सी0 विपत्र समर्पित किया जाना शेष है। निदेश दिया गया कि प्रमंडलीय आयुक्त अपनी देखरेख में सभी लम्बित ए0सी0 विपत्र की राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र समर्पित कराना सुनिश्चित करें।

(xiv) लोक लेखा के समक्ष CAG की आपत्ति कंडिकाओं की समीक्षा :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सारण जिला में वर्ष 2005–06 की कंडिका संख्या 5.2.6 से 5.2.16, सिवान जिला में वर्ष 2010–11 राज्य वित्त की कंडिका संख्या 3.4 (भू–अर्जन से संबंधित) एवं गोपालगंज जिला में वर्ष 2012–13 की कंडिका संख्या 5.13 का अनुपालन किया जाना शेष है। निदेश दिया गया प्रमंडलीय आयुक्त अपनी देखरेख में संबंधित कण्डिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भेजवाना सुनिश्चित करें।

(xv) डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण की भौतिक उपलब्धि :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सारण जिले में कुल अंचलों की संख्या 20 है जिसमें भवन निर्माण का कार्य मात्र 13 अंचलों में ही पूरा हो पाया है। इसी प्रकार सिवान में कुल अंचलों की संख्या 19 जिसमें 13 अंचलों में ही भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ है। निदेश दिया गया कि शेष बचे हुए अंचलों के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। गोपालगंज जिला से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर नाराजगी व्यक्त की गयी।

i) भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सारण जिला में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1804 है, जिसमें 770 ग्रामों के डाटा इंट्री का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है। सिवान जिला में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1524 है जिसमें 1239 ग्रामों के डाटा इंट्री का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है। इसी प्रकार गोपालगंज जिला में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 1566 है जिसमें 1503 ग्रामों के डाटा इंट्री का कार्य सम्पन्न कर लिया है। तीनों जिला में अभी तक एक भी अंचल में वेबसाईट पर डाटा अपलोड नहीं किया गया है। इस पर खेद व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि डाटा अपलोड करने का कार्य जल्द–से–जल्द पूर्ण किया जाय।

(xvii) भू–अर्जन :– दीघा सोनपुर गंगा रेल सह सड़क परियोजना/रेवा छपरा बड़ी लाईन परियोजना /डीजल रेल इंजन कारखाना, मढ़ौरा/महाराजगंज–मशरख रेल लाईन परियोजना/हथुआ–महनी नई रेल लाईन परियोजना/नयागांव रेल वैगन फैक्ट्री परियोजना/NH-85, NH-19, SH-90, SH-89 संबंधी परियोजना तथा गंगा पथ (दीघा–दीदारगंज) परियोजना से संबंधित भू–अर्जन की समीक्षा की गयी तथा प्रगति संतोषजनक पाया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/2/16

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 7/वेबरजम(ADM)21(S)/14 215(7)/रा0, पटना–15, दिनांक– 25-2-16

प्रतिलिपि :–अध्यक्ष, भूदान यज्ञ कमिटि, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला पदाधिकारी, सारण, सिवान एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–अपर समाहर्त्ता, सारण, सिवान एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण, सिवान एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर(छपरा), मढ़ौरा(सारण), सदर(सिवान), महाराजगंज(सिवान), सदर(गोपालगंज), हथुआ(गोपालगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर(छपरा), सोनपुर(सारण), मढ़ौरा(सारण), सदर(सिवान), महाराजगंज(सिवान), सदर(गोपालगंज), हथुआ(गोपालगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—सारण जिला के सभी अंचल अधिकारी/सिवान जिला के सभी अंचल अधिकारी(मैरवा को छोड़कर)/गोपालगंज जिला के सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/16

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
संयुक्त सचिव।